प्रेषक,

कृष्ण यादव,
पीठासीन अधिकारी,
मो0दु0दा0 अधिकरण, देवरिया।

सेवा में,

श्रीमान् उपनिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय : प्रारंभिक संम्पति विवरण विंलम्ब से भेजे जाने पर स्पष्टीकण के संबन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा माह दिसंबर 2020 मे प्रारंभिक संम्पति विवरण तथा वार्षिक संम्पति विवरण 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 व 2019 निर्धारित प्रारूप मे माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किये गये है। प्रारंभिक संम्पति विवरण विंलम्ब से भेजने का कारण प्रस्तुत करने के लिए मुक्षे निर्देशित किया गया है।

ससम्मान निवेदन करना है कि मैंने उच्चतर न्यायायिक सेवा में उच्चतर न्यायायिक सेवा परीक्षा 2012 मे चयन उपरांत माह अगस्त 2013 मे कार्य ग्रहण किया था। न्यायायिक सेवा में आने के उपरांत उस समय का प्रारंभिक संम्पति विवरण माननीय उच्च न्यायालय भेजा जाना था।

महोदय के समक्ष ससम्मान निवेदन करना है कि प्रारंभिक संम्पति विवरण माननीय उच्च न्यायालय भेजने के संबन्ध में जानकारी के आभाव में तुरंत संम्पति विवरण नही भेजा जा सका। इसके उपरांत न्यायालय के कार्यो कि व्यस्था तथा कुछ परिवारिक उत्तरदायित्वों में व्यस्ताओं के कारण मैं संम्पति विवरण नियत समय मे नही भेज सका। इन परिस्थितियों में संम्पति विवरण माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित नही किया जा सका। संम्पति विवरण संम्पति विवरण माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित करने में जानबुक्ष कर कोई विंलम्ब नही किया गया, बल्कि उपरोक्त परिस्थितियोंवश संम्पति विवरण नियत समय मे नही भेजा सका।

महोदय के समक्ष ससम्मान निवेदन है कि भविष्य मे मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र दिनांकित 13.05.2004 के अनुपालन मे नियमानुसार समय पर संम्पति विवरण प्रेषित किये जाते रहेगें।

महोदय ससम्मान से निवेदन है कि इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर प्रारंभिक संम्पति विवरण भेजने में हुए विंलम्ब को क्षमा करने कि कृपा करे, इसके लिए मैं सदैंव आपका अभारी रहुगॉ।

सादर,

भवदीय,

Krishan 14.06.2021

दिनांक : 14.06.2021

(कृष्ण यादव)
पीठासीन अधिकारी,
मो0दु0दा0 अधिकरण, देवरिया।
J.O. Code : UP2031